न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान साबूशाह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 295 / 2025
निर्णय दिनांक 28/08/2025

साबूशाह पुत्र फूलेशाह जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भांगेरा पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 81 के खसरा सं. 61 तादादी 14.5923 हैक्ट. एवं रोही मौजा भालेरी के खाता संख्या 274 के ख.नं. 193/1 तादादी 19.0434 हैक्ट., ख.नं. 194/1 तादादी 6.9674 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा भांगेरा के खाता संख्या 81 में प्रार्थी का नाम साहबल पुत्र फूला एवं रोही मौजा भालेरी के खाता संख्या 274 में नाम साबुदीन पुत्र फुला दर्ज है जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम साबूशाह पुत्र फूलेशाह है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम साबूशाह पुत्र फूलेशाह के स्थान पर उनके सामान्य बोलचाल का नाम साहबल पुत्र फूला एवं साबुदीन पुत्र फुला दर्ज हो गया। उक्त खातेदारी के अलावा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम साबूशाह पुत्र फूलेशाह है। प्रार्थी का नाम उक्त खसराजात की जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम साबूशाह पुत्र फूलेशाह अंकित है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्राथी का नाम सावूशाह पुत्र फूलेशाह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम साहबल पुत्र फूला एवं साबुदीन पुत्र फुला व साबूशाह पुत्र फूलेशाह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपेरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम साबूशाह पुत्र फूलेशाह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम साहबल पुत्र फूला एवं साबुदीन पुत्र फुला अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भांगेरा पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 81 के खसरा सं. 61 तादादी 14.5923 हैक्ट. एवं रोही मौजा भालेरी के खाता संख्या 274 के ख.नं. 193/1 तादादी 19.0434 हैक्ट., ख.नं. 194/1 तादादी 6.9674 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम साहबल पुत्र फूला एवं साबुदीन पुत्र फुला Delete कर इसके स्थान पर साबूशाह पुत्र फूलेशाह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)